बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0–भवन / भू–सम्पदा–01–आवास–(राजपत्रित)–01 / 2025–58 पटना, दिनांक–25/6/25

'कार्यालय आदेश'

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–16–सह–पठित ज्ञापांक–1548(भ), दिनांक–17.02.2025 के क्रमांक–48 में श्री अजय कुमार भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रेड–2, वित्त विभाग को आवास संख्या–**C7/101,** गर्दनीबाग आवंटित किया गया है। आवंटी पदाधिकारी से संपर्क करने तथा उनके द्वारा समर्पित ऑनलाईन आवेदन के जाँचोपरांत यह तथ्य संज्ञान में आया है कि श्री भट्ट, आयकर विभाग (केन्द्रीय सेवा) के पदाधिकारी है, परन्तु उनके द्वारा समर्पित ऑनलाईन आवेदन (पंजीकरण सं0–**BG7854**) के कंडिका–1 **(c)**, **(d)** एवं **(f)** में क्रमशः वर्त्तमान कार्यालय, प्रशासी विभाग तथा विभाग / संगठन का नाम 'वित्त विभाग' अंकित किए जाने के कारण उन्हें पटना केन्द्रीय पूल से आवास आवंटित हो गया है।

2. आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली–1986 में केन्द्रीय सेवा के पदाधिकारियों को पटना केन्द्रीय पूल से आवास आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।
3. अतः केन्द्रीय सेवा के पदाधिकारी श्री अजय कुमार भट्ट को आवंटित आवास संख्या–**C7/101,** गर्दनीबाग, पटना को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(शिव रंजन)
संयुक्त सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी